Indiabulls HOUSING FINANCE

इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनांस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: पाँचवीं मंजिल, इमारत नं. 27, केजी मार्ग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली - 110001
CIN:L65922DL2005PLC136029
ई- मेल: homeloans@indiabulls.com., टेलि: 011-43532950,
फैक्स: 011-43532947, वेबसाईट: http://www.indiabullshomeloans.com

सूचना

कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों के ध्यान के लिए

विषय: कंपनी के इक्विटी शेयरों का निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (आईईपीएफ) में स्थानांतरण

निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधी प्राधिकरण (लेखा, लेखापरीक्षा, स्थानांतरण और धनवापसी) संशोधन नियम 2016 ('नियम') जिसे भारत सरकार कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के द्वारा जारी विभिन्न अधिसूचनाओं के साथ पढा जाए, के अनुसार यह नोटिस जारी किया गया है।

कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) की धारा 124 (6) के अनुसार सात वर्षो से या उससे अधिक भुगतान न किए गए या दावा न किए गये लाभांश के संबंध में सभी शेयर निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (आईईपीएफ) में स्थानांतरित करने की आवश्यकता है । नियमों में निर्धारित विभिन्न आवश्यकताओं का पालन करते हुए, कंपनी ने संबंधित शेयरधारकों को व्यक्तिगत रूप से सूचित किया है जिनके शेयर आईईपीएफ सन्देही खाते में हस्तांतरित होने के लिए उत्तरदायी हैं, वो कैसे भूगतान न किए गये या दावा न किए गये लाभांश के मूल्य को 16 अगस्त, 2024 को या उससे पहले दावा कर सकते है।

सभी भुगतान न किए गये या दावा न किए गये लाभांश का वार्षिक विवरण और शेयरधारको का संपुर्ण विवरण जिनमें उनके फोलियो नं. या डीपी आइडी/ ग्राहक आईडी शामिल है जिनके शेयर आईईपीएफ में हस्तांतरित होने के लिए उत्तरदायी है, यह सभी जानकारी कंपनी वेबसाईट www.indiabullshomeloans.com पर उपलब्ध है।

सभी शेयरधारक इस बात पे ध्यान दें कि भौतिक रुपमें और विमुद्रीकृत रूप में रखे गए शेयरों को आईईपीएफ में स्थानांतरित किया जा सकता है। हालांकि, इन शेयरो को अर्जित लाभ के साथ, यदी कोई हो तो, वह नियमों में उल्लिखित प्रक्रिया द्वारा दावा कर सकते है।

शेयरधारक इस बात पे ध्यान दें कि नियमो के अनुसार, कंपनी आईईपीएफ में स्थानांतरित करने के उदेश्य से मूल शेयर सर्टिफिकेट के बदले में डुप्लिकेट सर्टिफिकेट जारी करेगी, जिस पर मूल शेयर सर्टिफिकेट स्वचालित रुप से रद्द हो जाएंगे।

यदि 16 अगस्त, 2024 तक भौतिक या विमुद्रीकृत रूप में शेयर रखने वाले संबंधित शेयरधारको से कोई सूचना प्राप्त नही होती है, तो नियमों में निर्धारित प्रक्रिया के तहत उन शेयरो और लाभांश को आईईपीएफ में स्थानांतरित करने के लिए कंपनी उचित कारवाई शुरू करेगी।

इस संबंध में यदि कोई शेयरधारक को पूछताछ करनी हो तो कृपया कंपनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रान्सफर एजंट, केफीन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, श्रीमती सी शोभा आनंद, सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नं. 31- 32, गाचीबोवली वित्तीय जिला, नानकरामगुडा, हैदराबाद - 500032 टॉल फ्री:1800-309-4001; ईमेल:einward.ris@kfintech.com, पर संपर्क कर सकते है।

इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड
सही/-
अमित जैन
कंपनी सचीव और कंप्लायंस ओफिसर

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 24.05.2024

जिंदल सॉ लिमिटेड

सीआईएन – L27104UP1984PLC023979
पंजीकृत कार्यालय: ए–1, यूपीएसआईडीसी इंडस्ट्रियल एरिया, नंद गांव रोड कोसी कलां, जिला मथुरा (उ. प्र.) 281403
कॉर्पोरेट कार्यालय: जिंदल सेंटर, 12, भिकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली – 110 066

सूचना

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा जारी परिपत्रों के अनुपालन में सूचना दी जाती है कि कंपनी की 39वीं वार्षिक आम बैठक मंगलवार, 18 जून, 2024 को सुबह 11.30 बजे (आईएसटी) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी") /अन्य आडियो वीजुवल मीन्स ("ओएवीएम") के माध्यम से आयोजित की जायेगी और वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट के साथ कंपनी की वार्षिक आम बैठक बुलाने का नोटिस इलेक्टॉनिक रूप से कंपनी के उन सदस्यों को भेजा गया हैं, जो 17 मई, 2024 को कंपनी के शेयर धारक है। एजीएम नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट www.jindalsaw.com, स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com और www.nseindia.com पर भी क्रमश उपलब्ध है।

एजीएम की सचूना में संदर्भित दस्तावेज एजीएम की सचूना के प्रसार की तारीख से सदस्यों द्वारा निरीक्षण के लिए इलेक्टॉनिक रूप से उपलब्ध है। ऐसे दस्तावेजों का निरीक्षण करने के इच्छुक सदस्य investors@jindalsaw.com पर एक ई– मेल भेज सकते हैं।

एजीएम में लाभांश के भुगतान के उद्देश्य से कंपनी के सदस्यों और शेयर हस्तांतरण पुस्तकें 12 जून, 2024 से 18 जून, 2024 (दोनों दिन सम्मिलित) तक बंद रहेंगे।

एजीएम के दौरान रिमोट ई–वोटिंग और ई–वोटिंग:

कंपनी अपने सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम ("ई–वोटिंग") द्वारा एजीएम में पारित किए जाने वाले प्रस्तावों पर मतदान के अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान कर रही है। सदस्य यहां नीचे उल्लिखित तारीखों ("रिमोट ई–वोटिंग") के माध्यम से दूरस्थ रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। कंपनी ने ई–वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए एजेंसी के रूप में नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ("एनएसडीएल") की सेवाओं को लिया गया हैं।

एजीएम की सूचना में निर्देश शामिल हैं जिसमें डीमैटेरियलाइज्ड माध्यम, भौतिक माध्यम में शेयर रखने वाले सदस्यों और अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं करने वाले सदस्यों द्वारा दूरस्थ रूप से मतदान सहित मतदान के तरीके शामिल हैं। कोई भी व्यक्ति, जो एजीएम की सूचना के प्रेषण के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है और कट–ऑफ तिथि (यहां नीचे उल्लिखित) के अनुसार शेयर रखता है /सदस्य जो यूजर आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं, उसे प्राप्त / उत्पन्न कर सकते हैं, एजीएम के नोटिस में भी दिया गया है।

रिमोट ई–वोटिंग सुविधा निम्नलिखित मतदान अवधि के दौरान उपलब्ध होगी:

रिमोट ई–वोटिंग का प्रारंभ : शनिवार 15 जून, 2024 को सुबह 09:00 बजे (आईएसटी)
रिमोट ई–वोटिंग की समाप्ति : सोमवार 17 जून, 2024 को शाम 05:00 बजे (आईएसटी)

उपरोक्त तिथि और समय के बाद रिमोट ई–वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी और उपरोक्त अवधि की समाप्ति पर एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई–वोटिंग मॉड्यूल को तुरंत निष्क्रिय कर दिया जाएगा।

एजीएम में भाग लेने वाले सदस्य जिन्होंने रिमोट ई–वोटिंग द्वारा वोट नहीं डाला है, वे एजीएम में इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान करने के लिए मान्य होंगे। एक व्यक्ति, जिसे कट–ऑफ तिथि, यानी 11 जून, 2024 को सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज किया गया है वो केवल एजीएम में रिमोट ई–वोटिंग या ई–वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने का हकदार होगा।

सदस्य ई–वोटिंग के निर्देशों को एजीएम नोटिस में देख सकते हैं अथवा https://evoting.nsdl.com. पर जा सकते हैं और किसी भी प्रश्न के मामले में, आप सदस्यों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और ई–वोटिंग उपयोगकर्ता मैनुअल का संदर्भ ले सकते हैं जो https://evoting.nsdl.com. के डाउनलोड सेक्शन में सदस्यों के लिएउपलब्ध हैं।

जिंदल सॉ लिमिटेड के लिए
हस्ता/–
सुनिल के जैन
कम्पनी सचिव
एफसीएस–3056

स्थान: नई दिल्ली
तिथि : 24.05.2024

भारतीय जीवन बीमा निगम

"जीवन प्रकाश" मण्डल कार्यालय, हजरतगंज, लखनऊ-226001 फोन नं.: 0522-2624855
ईमेल : sales.lucknow@licindia.com

प्रतियोगिता पुरस्कार, मेमेण्टो व गिफ्ट आइटम की खरीद के लिए वेण्डर/फर्म/डीलर के इम्पैनलमेंट हेतु आवेदन की सूचना

भारतीय जीवन बीमा निगम लखनऊ मण्डल अपने अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली 19 शाखाओं हेतु प्रतियोगिता पुरस्कार, मेमेण्टो व गिफ्ट आइटम की खरीद के लिए वेण्डर/फर्म/डीलर से इम्पैनलमेंट हेतु आवेदन आमंत्रित करता है।

इम्पैनलमेंट आवेदन प्रक्रिया का विवरण निम्न प्रकार होगा :-

1.	इम्पैनलमेंट आवेदन फीस	रू0 100+18%GST कुल 118.00
2.	आवेदन निर्गत तिथि	दिनांक 25.05.2024
3.	आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि	दिनांक 13.06.2024 समय 03 बजे तक

आवेदन प्रपत्र एवं विस्तृत विवरण, मण्डल कार्यालय के विक्रय विभाग से किसी भी कार्य दिवस में 25.05.2024 से 13.06.2024 तक रू0 118/- देकर प्राप्त किये जा सकते हैं अथवा निगम की वेब साइट www.licindia.in के Tender Section से प्राप्त की जा सकती है, जिसके साथ रू0 118/- का ड्राफ्ट संलग्न होना चाहिए। आवेदन सील बन्द लिफाफे में "क्रय समिति/कोटेशन ओपनिंग कमेटी", विक्रय विभाग, भारतीय जीवन बीमा निगम, मण्डल कार्यालय "जीवन प्रकाश" हजरतगंज, लखनऊ - 226001 को सम्बोधित करते हुए अन्तिम तिथि एवं समय तक पहुंच जानी चाहिए। भारतीय जीवन बीमा निगम, मण्डल कार्यालय लखनऊ के पास किसी भी आवेदन को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

वरिष्ठ मण्डल प्रबन्धक

India Post भारतीय डाक

संख्या: सी.पी.टी./डाकअदालत/नोटिफिकेशन/जून/2024/6 दिनांक, लखनऊ: 24.05.2024

कार्यालय चीफ पोस्टमास्टर जनरल, उ.प्र. परिमण्डल, लखनऊ–226001

डाक अदालत

डाक उपभोक्ताओं की शिकायतों को निराकरण करने हेतु दिनांक 21.06.2024 को 12.30 बजे चीफ पोस्टमास्टर जनरल उ0.प्र0. परिमण्डल की अध्यक्षता में डाक अदालत का आयोजन किया जायेगा।

डाक अदालत में उत्तर प्रदेश परिमण्डल की डाक सेवाओं से संबंधित शिकायतों जैसे स्पीड पोस्ट, पार्सल, पंजीकृत पत्र, वी पी, धनादेष, बचत बैंक, डाक जीवन बीमा आदि से सम्बन्धित मामलों की सुनवाई करके तत्काल निस्तारण करने का प्रयत्न किया जायेगा।

डाक विभाग की सेवाओं से असन्तुष्ट उपभोक्ता अपनी शिकायत दिनांक 19.06.2024 तक सहायक निदेशक (पी0जी0), कार्यालय चीफ पोस्टमास्टर जनरल, उ0.प्र0. परिमण्डल, लखनऊ–226001 के नाम रजिस्टर्ड डाक से भेज सकते हैं। उक्त तिथि के बाद प्राप्त शिकायतें उक्त डाक अदालत में विचारणीय नहीं होगी। उक्त डाक अदालत में भाग लेने हेतु शिकायकर्ता को स्वयं उपस्थित होना होगा।

डाक अदालत में वहीं मामले विचारणीय होंगे जो पहले से परिमण्डल के पोस्टमास्टर जनरल/प्रवर अधीक्षक डाकघर/अधीक्षक डाकघर को प्रस्तुत किये गये हों और उनका निवारण न हुआ हो। ऐसे अधिकारियों के पास शिकायत भेजने अथवा डाक अदालत में मामला प्रस्तुत करने का प्रमाण साथ में संलग्न करना आवश्यक है।

लिफाफे के ऊपर "**डाक अदालत हेतु**" अवश्य लिखा जाए।

हस्ता./–
सहायक निदेशक (पी0जी0)
कृते चीफ पोस्टमास्टर जनरल,
उत्तर प्रदेश परिमण्डल, लखनऊ–226001

---

kotak

संपत्ति की ऑनलाइन ई–नीलामी बिक्री

कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: 27 बीकेसी, सी–27, जी–ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ई), मुंबई,महाराष्ट्र–400051
शाखा कार्यालय: कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड 7वीं मंजिल, प्लॉट नं.–7, सेक्टर–125, नोएडा, उत्तर प्रदेश–201313

अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 9(1) के परंतुक के साथ पठित नियम 8(5) के तहत वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत अचल परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए ई–नीलामी बिक्री सूचना।

फुलर्टन इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड **(इसके बाद "एफआईएचएफसी" के रूप में संदर्भित)** द्वारा कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के पक्ष में ऋण के असाइनमेंट के बाद, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी **(इसके बाद "बैंक/केएमबीएल/सुरक्षित लेनदार के रूप में जाना जाता है)** ने 28.02.2024 को सुरक्षित लेनदार के पास गिरवी/चार्ज की गई नीचे वर्णित अचल संपत्ति (इसके बाद इसे सुरक्षित संपत्ति कहा जाएगा) का भौतिक कब्ज़ा ले लिया है।

इसके द्वारा विशेष रूप से उधारकर्ता (ओं) और गारंटर (ओं) और सामान्य रूप से जनता को नोटिस दिया जाता है कि बैंक ने ऋण खाता संख्या 611707210506925 के अंतर्गत नीचे दिए गए विवरण के अनुसार श्री मनोज कुमार और श्रीमती रजनी द्वारा लिया गया ऋण को 22–05–2024 तक बकाया रु.29,36,844/– (रुपए उनतीस लाख छत्तीस हजार आठ सौ चवालीस मात्र) की वसूली तक भविष्य में लागू ब्याज की वसूली के लिए सरफेसी अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत ई–नीलामी के माध्यम से सुरक्षित संपत्ति को "जैसा है जहां है" "जैसा है, जैसा है", और "जो कुछ है" के आधार पर बेचने का फैसला किया है।

विशेष	विवरण
नीलामी की तिथि	28.06.2024
नीलामी का समय	5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ दोपहर 12:00 बजे से 1:00 बजे के बीच
आरक्षित मूल्य	20,00,000/– (रुपये बीस लाख मात्र)
बयाना राशि जमा (ईएमडी)	रु. 2,00,000/– (केवल दो लाख रुपये)
केवाईसी के साथ ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि	27.06.2024 सायं 6:00 बजे तक (आईएसटी)
सुरक्षित संपत्ति का विवरण	गांव, रावली महदूद, परगना ज्वालापुर तहसील और जिला हरिद्वार में स्थित संपत्ति घर पूर्व 35 फीट, पश्चिम 35 फीट, उत्तर 20 फीट, दक्षिण 20 फीट कुल क्षेत्रफल 700 वर्ग फीट यानी 65 वर्ग मीटर, जिसमें 4 कमरे, भूतल पर 2 शौचालय बाथरूम सीढ़ियां और 5 कमरे, पहली मंजिल पर 2 शौचालय बाथरूम, इसका कुल कवर्ड क्षेत्रफल 1400 वर्ग फुट है, जिसका खसरा नंबर 466 है, अंसप संपत्ति घर का वह टुकड़ा और अंश, सीमाएं: पूर्व: दूसरे व्यक्ति का प्लॉट, पश्चिम: दूसरे व्यक्ति का प्लॉट, उत्तर: 20 फीट चौड़ा रास्ता, दक्षिण: दूसरे व्यक्ति की जमीन
ज्ञात भार	शून्य

उधारकर्ता का ध्यान प्रतिभूत परिसंपत्ति को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, सरफेसी अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा 8 के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

जनसाधारण और विशेष रूप से उधारकर्तागण कृपया ध्यान दें कि यदि यहां इसमें अनुसूचित नीलामी किसी भी कारण से विफल हो जाती है तो प्रतिभूत लेनदार सार्वजनिक ई–नीलामी के माध्यम से बिक्री करके प्रतिभूति हित प्रवर्तित कर सकते हैं।

बिक्री के तहत रखी गई परिसंपत्तियों के संबंध में किसी स्पष्टीकरण/आवश्यकता की स्थिति में, **बोलीदाता श्री राहुल राजन (+91 8745077693) श्री अक्षित सोलंकी (91 7302111608), और श्री सोमेश सुंदरियाल (+91 9910563402)**से संपर्क कर सकते हैं।

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए कृपया कोटक महिंद्रा बैंक की वेबसाइट अर्थात् **www.kotak.com** तथा/अथवा **https://bankauctions.in/** पर उपलब्ध लिंक **https://www.kotak.com/en/bank-auctions.html** देखें।

स्थान: हरिद्वार, उत्तराखंड **दिनांक: 25.05.2024** **प्राधिकृत अधिकारी ,कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड**

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

IDFC FIRST Bank

(पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ संविलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में अभिज्ञात)
सीआईएन : एल65110टीएन2014पीएलसी097792
पंजीकृत कार्यालय : केआरएम टॉवर्स, 8वां तल, हैरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई–600031
दूरभाष : 91 44 4564 4000, फैक्स : 91 44 4564 4022

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना

निम्नलिखित ऋणकर्ताओं और सह–ऋणकर्ताओं ने **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ संविलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में अभिज्ञात)** से निम्न वर्णित प्रतिभूत ऋण प्राप्त किए थे। निम्न–वर्णित ऋणकर्ताओं और सह–ऋणकर्ताओं के ऋणों को उनकी संबंधित संपत्तियों के बंधक द्वारा प्रतिभूत किया गया है। चूंकि वे संबंधित ऋणानुबंधों के नियमों एवं शर्तों का पालनानुपालन करने में विफल हो चुके थे और अनियमित हो चुके थे, अतः उनके ऋण खाता को आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार एनपीए के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया था। और इस प्रकार, उनकी ओर से **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ संविलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में अभिज्ञात)** को देय–भुगतेय धनराशियों को संबंधित निर्गत सूचनाओं के अनुसार अंकित किया गया है, जो अधिक विशिष्ट रूप में निम्नलिखित तालिका में सांकित हैं और उक्त धनराशियों पर भावी ब्याज भी लागू होगा और ब्याज जो है वह उनकी संबंधित तिथियों से प्रभावी संविदागत दर के अनुसार प्रभारित किया जायेगा।

क्र. सं.	ऋण खाता सं.	ऋण का प्रकार	ऋणकर्ताओं एवं सह–ऋणकर्ताओं के नाम	धारा 13(2) सूचना तिथि	धारा 13(2) सूचना के अनुसार बकाया राशि	संपत्ति पता
1.	14100825	संपत्ति के समक्ष ऋण	1. महबूब अली 2. यासमीन महबूब अली	03.04.2024	7,53,384.67/–	प्लॉट नंबर 49 भाग की भूमि पर निर्माण के साथ अचल फ्रीहोल्ड आवासीय संपत्ति के समस्त वह भाग तथा अंश, अधिमापन 60 वर्ग गज अर्थात् 50.16 वर्ग मीटर, जो खसरा नंबर 392/4 मिन., लक्ष्मी गार्डन, ग्राम धरौती खुर्द, परगना और तहसील लोनी, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश–201102 में स्थित तथा निम्नानुसार परिसीमित है :– पूर्व– अन्य संपत्ति, पश्चिम– अन्य संपत्ति उत्तर– 20 फुट चौड़ी सड़क, दक्षिण– प्लॉट काशेष भाग।
2.	14609988	संपत्ति के समक्ष ऋण	1. राकेश सैनी (स्वर्गीय राजेंद्र लल्लू राम के उपलब्ध कानूनी उत्तराधिकारी की हैसियत से)	08.05.2024	13,61,586.08/–	150 वर्ग मीटर माप वाले भूमि क्षेत्र के समस्त वह भाग तथा अंश जो पुराने वार्ड नं. 6, नये वार्ड नं. 4, फर्रुखनगर, लाल डोरा आबादी, तहसील : फर्रुखनगर, जिला : गुरुग्राम, हरियाणा–123506 में स्थित तथा निम्नानुसार परिसीमित है :– पूर्व– रास्ता 6 फुट चौड़ा और हीरा लाल की संपत्ति, पश्चिम– मुखराम की संपत्ति, उत्तर– सतीश की संपत्ति, दक्षिण– संतोष की संपत्ति।
3.	28886544 एवं 33926894	संपत्ति के समक्ष ऋण	1. वीरवती नन्द किशोर 2. नंद किशोर	28.03.2024	9,69,899.35/–	60 वर्ग गज माप वाले प्लॉट के समस्त वह भाग तथा अंश जो खसरा नंबर 1726 से 1733, 1735, 1738 से 1743, 1845 से 1757, 1759, 1761 से 1769, 1773, 1774 में से, वाका मौजा बसेलवा कॉलोनी, तहसील और जिला : फरीदाबाद, हरियाणा – 121002 में स्थित तथा निम्नानुसार परिसीमित है :– पूर्व– मकान नं. 308 (हरीश चंद), पश्चिम– मकान नं. 310 (नरेश), उत्तर– गली 12 फुट चौड़ी (गली नं. 07), दक्षिण– अन्य संपत्ति।

आपको एतद्द्वारा निर्देश दिया जाता है कि आप उपरोक्त तालिका में निदर्शित विवरणों के अनुसार **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ संविलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में अभिज्ञात)** को बकाया धनराशियों का उनकी संबंधित तिथियों से धनराशियों पर गणनाकृत ब्याज की संविदागत दर पर ब्याज और अन्य लागतों, शुल्कों, इत्यादि के साथ, इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिवसों में भुगतान कर दें। भुगतान करने में विफल रहने पर अधोहस्ताक्षरकर्ता जो हैं वे **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ संविलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में अभिज्ञात)** को देय–भुगतेय धनराशियों की वसूली करने के लिए यहां इसमें उपरोक्त वर्णित बंधककृत संपत्तियों के विरुद्ध सरफॉएसि अधिनियम की धारा 13(4) एवं धारा 14 के अंतर्गत कार्रवाइयां प्रारंभ करने को बाध्य–विवश होंगे। इसके अतिरिक्त, आप पर उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के अंतर्गत प्रतिबंध लगाया जाता है कि आप उक्त प्रतिभूत परिसंपत्तियों का विक्रय/पट्टा के माध्यम से अथवा अन्यथा हस्तांतरण नहीं कर सकेंगे।

हस्ता./–
प्राधिकृत अधिकारी
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड
(पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ संविलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में अभिज्ञात)

दिनांक : 25–05–2024
स्थान : दिल्ली /राराक्षे

सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 13 की उप-धारा (3) तथा एलएलपी नियमावली, 2009 के नियम 17 की उप-धारा (4) के अनुपालन में। मै नेक्सा मल्टीलेयर बोर्ड्स एलएलपी (LLPIN-ABB-1053) जिसका पंजीकृत कार्यालय 200ए, भूतल, ब्लॉक क्यू, डीडीए फ्लैट्स, पीतमपुरा, सरस्वती विहार, दिल्ली-110034 में है, के मामले में।

एतद्द्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि उसकी बोर्ड की बैठक तिथि 10 मई, 2024 के माध्यम से "दिल्ली राज्य" से "हरियाणा राज्य" में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने का यह एलएलपी प्रस्ताव करता है। इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे एमसीए- 21 पोर्टल (**www.mca.gov.in**) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र दाखिल करें अथवा उसके पंजीकृत कार्यालय 200ए, भूतल, ब्लॉक क्यू, डीडीए फ्लैट्स, पीतमपुरा, सरस्वती विहार, दिल्ली-110034 में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक के पतेः बी-2 विंग, 2रा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें:

नेक्सा मल्टीलेयर बोर्डस एलएलपी
हस्ता/- मयंक अगरवाल
पदनामित पार्टनर
DPIN-07961214

तिथि: 14 मई, 2024
स्थान: नई दिल्ली

"प्रपत्र सं. आईएनसी–26"

विद्यमान कम्पनियों के लिये लाइसैन्स के लिये समाचार पत्र में प्रकाशन के लिये विज्ञापन
[कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुपालन में]
क्षेत्रीय निदेशक, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, उत्तरी क्षेत्र के समक्ष
कंपनी अधिनियम, 2013, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8(1) तथा कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 20 के मामले में
तथा
सिद्ध काशी प्राईवेट लिमिटेड जिसका **पंजीकृत कार्यालय** ख. नं. 70/1/1, ए–8, 4था तल, ग्राम मंगोलपुर कलान, पंजाब स्वीट्स के निकट, मार्बल मार्केट, रोहिणी, सेक्टर 5, उत्तर पश्चिम दिल्ली–110085, भारत में है, के मामले में

..... **आवेदक**

एतद्द्वारा सर्व–साधारण को सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के अंतर्गत कम्पनी ने केन्द्र सरकार को आवेदन दिया है जो अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत लाइसैन्स प्राप्त करने के लिये कम्पनी को सक्षम बनाने के लिये 18 अप्रैल, 2024 को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार उसके नाम में "लिमिटेड" अथवा "प्राईवेट लिमिटेड" शब्द जोड़े बिना धारा 8 के अंतर्गत पंजीकृत किये जाने के लिये इच्छुक है।

यदि कम्पनी की स्थिति के प्रस्तावित परिवर्तन से किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे नीचे वर्णित पते पर उसके पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कम्पनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर संबंधित कम्पनी रजिस्ट्रार, 4था तल, आईएफसीआई टावर, 61, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली–110019 के पास अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ–पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति जमा करें या जमा कराएँ या पंजीकृत डाक से भेजें:

ख. नं. 70/1/1, ए–8, 4था तल, ग्राम मंगोलपुर कलान, पंजाब स्वीट्स के निकट, मार्बल मार्केट, रोहिणी, सेक्टर 5, उत्तर पश्चिम दिल्ली–110085, भारत

कृते एवं के लिये, **सिद्ध काशी प्राईवेट लिमिटेड**
कविता गनी
निदेशक
DIN: 08769710
पता: जे/71, कृष्ण विहार, नितारी सुल्तानपुरी, सी ब्लॉक, उत्तर पश्चिम दिल्ली–110086

तिथि: 25.05.2024
स्थान: दिल्ली

HAVELLS

हैवेल्स इंडिया लिमिटेड

रजि. ऑफिस: 904, 9वीं मंजिल, सूर्या किरन बिल्डिंग, के.जी. मार्ग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली–110 001
कॉर्पोरेट ऑफिस: क्यूआरजी टॉवर्स, 2डी, सेक्टर–126, एक्सप्रेसवे, नोएडा–201 304,
फोन: # 0120–3331000, **फैक्स:** # 0120–3332000, **वेब:** www.havells.com
ई–मेल: investors@havells.com, **CIN** - L31900DL1983PLC016304

हैवेल्स इंडिया लिमिटेड की 41वीं एजीएम वीसी के माध्यम से आयोजित (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग)/ओएवीएम (अन्य ऑडियो–वीडियो माध्यम)

1. एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी की 41वीं वार्षिक आम बैठक (वार्षिक आम बैठक) 28 जून, 2024, शुक्रवार को दोपहर 2:00 बजे कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021, 19/2021, 21/2021, 03/2022, 10/2022, 11/2022 और 09/2023 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 और अन्य सभी लागू कानूनों और परिपत्रों के अनुपालन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) / अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम (ओएवीएम) के माध्यम से (एमसीए), भारत सरकार और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) नोटिस में निर्धारित सामान्य और विशेष व्यवसायों को लेन–देन करने के लिए एक सामान्य स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना वीसी या ओएवीएम के माध्यम से एजीएम आयोजित करने की अनुमति देता है।
2. उपरोक्त परिपत्रों के अनुपालन में, वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम की सूचना की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां उन सभी शेयरधारकों को भेजी जाएंगी जिनके ई–मेल पते पंजीकृत हैं/कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास उपलब्ध हैं।
   हालांकि, कंपनी के शेयरधारक नोटिस की भौतिक प्रति और कंपनी से एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट के लिए अनुरोध कर सकते हैं, यदि वे इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो investors@havells.com पर एक अनुरोध भेज सकते हैं।
3. एजीएम की सूचना और एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.havells.com वार्षिक रिपोर्ट टैब में वित्तीय के अंतर्गत निवेशक संबंध अनुभाग में, स्टॉक एक्सचेंजों (एनएसई और बीएसई) की वेबसाइटों और एनएसडीएल की वेबसाइट (रिमोट ई–वोटिंग सुविधा प्रदान करने वाली एजेंसी) https://www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध होगी।
   लाभांश प्राप्त करने के लिए यदि आपने अपना ई–मेल पता पंजीकृत नहीं किया है और/या अपना बैंक खाता मैंडेट अपडेट नहीं किया है,
   - **अभौतिक रूप में शेयर धारित करने वाले शेयरधारकों** से अनुरोध है कि लाभांश प्राप्त करने के लिए वे अपने ईमेल पते, मोबाइल नंबर, बैंक खाता विवरण और/या अन्य विवरण, अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के माध्यम से अपने संबंधित डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत करें।
   - **भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों** से अ